सिविल प्रक्रिया संहिता

धारा 92

(लोक न्यास के संबंध में सिविल न्यायालय संबंधी प्रावधान)

लोक पूर्त कार्य-

[1] **(1)** पूर्त या धार्मिक प्रकृति के लोक प्रयोजनों के लिए सृष्ट किसी अभिव्यक्त या आन्वयिक न्यास के किसी अभिकथित भंग के मामले में , या जहाँ ऐसे किसी न्यास के प्रशासन के लिए न्यायालय का निर्देश आवश्यक समझा जाता है, वहां महाधिवक्ता या न्यास में हित रखने वाले ऐसे दो या अधिक व्यक्ति, जिन्होंने [2] (न्यायालय की इजाजत) अभिप्राप्त कर ली है , ऐसा वाद, चाहे वह प्रतिविरोधात्मक हो या नहीं , आरंभिक अधिकारिता वाले प्रधान सिविल न्यायालय में या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त सशक्त किए गए किसी अन्य न्यायालय में जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर न्यास की संपूर्ण विषयवस्तु या उसका कोई भाग स्थित है, निम्नलिखित डिक्री अभिप्राप्त करने के लिए संस्थित कर सकेंगे:-

(क) किसी न्यासी को हटाने की डिक्रीः

(ख) नए न्यासी को नियुक्त करने की डिक्रीः

(ग) न्यासी में किसी सम्पत्ति को निहित करने की डिक्रीः

[3]**(गग)** ऐसे न्यास को जो हटाया जा चुका है या ऐसे व्यक्ति को जो न्यासी नहीं रह गया है, अपने कब्जे में की किसी न्यास-संपत्ति का कब्जा उस व्यक्ति को जो उस संपत्ति के कब्जे का हकदार है , परिदत्त करने का निर्देश देने की डिक्रीः

(घ) लेखाओं और जाँचों को निर्दिष्ट करने की डिक्रीः

(ङ) यह घोषणा करने की डिक्री कि न्सास-संपत्ति का या उसमें के हित का कौन सा अनुपात न्यास के किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए आवंटित होगाः

(च) संपूर्ण न्यास-संपत्ति या उसके किसी भाग का पट्टे पर उठाया जाना, विक्रय किया जाना, बन्धक किया जाना या विनिमय किया जाना प्राधिकृत करने की डिक्रीः

---

[1] धारा 92 बिहार के किसी धार्मिक न्यास को लागू नहीं होगी। देखिए 1951 का बिहार अधिनियम सं. 1 ।

[2] 1976 के अधिनियम सं. 104 की धारा 31 द्वारा (01.02.1977 से) ''महाधिवक्ता की लिखित सम्पत्ति'' के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया।

[3] 1956 के अधिनियम सं. 66 की धारा 9 द्वारा अन्तःस्थापित किया।

(छ) स्कीम स्थिर करने की डिक्रीः अथवा

(ज) ऐसा अतिरिक्त या अन्य अनुतोष अनुदात्त करने डिक्री जो मामले की प्रकृति से अपेक्षित हो।

(2) उसके सिवाय जैसा धार्मिक विन्यास अधिनियम, 1863 (1863 का 20) द्वारा [4]या [5]उन राज्य क्षेत्रों में, [6]जो 1 नवम्बर, 1956 के ठीक पूर्व भाग ख राज्यों में समाविष्ट थे , प्रवृत्त तत्समान किसी विधि द्वारा उपबंधित है , उप धारा (1) में विनिर्दिष्ट अनुतोषों में से किसी एक के लिए दावा करने वाला कोई भी वाद ऐसे किसी न्यास के संबंध में जो उसमें निर्दिष्ट है, उस उप धारा के उपबंधों के अनुरूप ही संस्थित किया जाएगा, अन्यथा नहीं।

[7] **(3)** न्यायालय, पूर्त या धार्मिक प्रकृति के लोक प्रयोजनों के लिए सृष्ट किसी अभिव्यक्त या आन्वयिक न्यास के मूल प्रयोजनों में परिवर्तन कर सकेगा और ऐसे न्यास की संपत्ति या आय को अथवा उसके किसी भाग को निम्नलिखित में से एक या अधिक परिस्थितियों में समान उद्देश्य के लिए उपयोजित कर सकेगा अर्थातः

(क) जहाँ न्यास के मूल प्रयोजन पूर्णतः या भागतः -

(i) जहाँ तक हो सके पूरे हो गए हैं, अथवा

(ii) क्रियान्वित किए ही नहीं जा सकते हैं या न्यास को सृष्ट करने वाले लिखित में दिए गए निर्देशों के अनुसार या जहाँ ऐसी कोई बात लिखित नहीं है , वहां, न्यास की भावना के अनुसार क्रियान्वित नहीं किए जा सकते हैं, अथवा

(ख) जहाँ न्यास के मूल प्रयोजनों में, न्यास के आधार पर उपलब्ध संपत्ति के केवल एक भाग के उपयोग के लिए ही उपबन्ध है, अथवा

(ग) जहाँ न्यास के आधार पर उपलब्ध संपत्ति और समान प्रयोजन के लिए उपयोजित की जा सकने वाली अन्य संपत्ति का न्यास की भावना और सामान्य प्रयोजनों के लिए उसके उपयोजन को ध्यान में रखते हुए, किसी अन्य प्रयोजनों के साथ-साथ अधिक प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा सकता है और वह किसी अन्य प्रयोजन के लिए उपयुक्त रीति से उपयोजित की जा सकती है, अथवा

(घ) जहाँ मूल प्रयोजन पूर्णतः या भागतः किसी ऐसे क्षेत्र के बारे में बनाए गए थे जो ऐसे प्रयोजनों के लिए उस समय एक ही इकाई था किन्तु अब नहीं रह गया है, अथवा

(ङ) जहाँ, -

(i) मूल प्रयोजनों को बनाए जाने के पश्चात , पूर्णतः या भागतः अन्य साधनों से पर्याप्त रूप से व्यवस्था कर दी है, अथवा

---

[4] 1951 के अधिनियम संख्या 2 की धारा-13 द्वारा अंतःस्थापित किया गया।

[5] विधि अनुकूलन संख्या 2 आदेश 1956 द्वारा भाग ''ख'' राज्य के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया।

[6] विधि अनुकूलन संख्या 2 आदेश 1956 द्वारा भाग ''ख'' राज्य के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया।

[7] 1976 के अधिनियम संख्या 104 की धारा 31 द्वारा (1.2.1977 से) अंतःस्थापित किया गया।

(ii) मूल प्रयोजन बनाये जाने के पश्चात , पूर्णतः या भागतः , समाज के लिए अनुपयोगी या अपहानिकर होने के कारण समाप्त हो गए हैं अथवा

(iii) मूल प्रयोजन बनाए जाने के पश्चात , पूर्णतः या भागतः विधि के अनुसार पूर्त नहीं रह गए हैं , अथवा

(iv) मूल प्रयोजन बनाए जाने के पश्चात , पूर्णतः या भागतः न्यास की भावना को ध्यान में रखते हुए , न्यास के आधार पर उपलब्ध संपत्ति के उपयुक्त व प्रभावी उपयोग के लिए किसी अन्य रीति से उपबंध नहीं करते हैं।

92. Public charities.- (1) In the case of any alleged breach of any express or constructive trust created for public purposes of a charitable or religious nature, or where the direction of the court is deemed necessary for the administration of any such trust, the Advocate General, or two or more persons having an interest in the trust and having obtained the leave of the court, may institute a suit, whether contentious or not, in the principal civil court of original jurisdiction or in any other court empowered in that behalf by the State Government within the local limits of whose jurisdiction whole or any part of the subject matter of the trust is situate to obtain a decree—

(a) removing any trustee;

(b) appointing a new trustee;

(c) vesting any property in a trustee;

(cc) directing a trustee who has been removed or a person who has ceased to be a trustee, to deliver possession of any trust property in his possession to the person entitled to the possession of such property;

(d) directing accounts and inquiries;

(e) declaring what proportion of the trust property or of the interest therein shall be allocated to any particular object of the trust;

(f) authorizing the whole or any part of the trust property to be let, sold, mortgaged or exchanged;

(g) settling a scheme; or

(h) granting such further or other relief as the nature of the case may require.

(2) Save as provided by the Religious Endowments Act, 1863 (20 of 1863), or by any responding law in force in the territories which, immediately before the 1st November, 1956, were comprised in Part B States, no suit claiming any of the reliefs specified in sub-section (1) shall be instituted in respect of any such trust as is therein referred to except in conformity with the provisions of that sub-section.

(3) The Court may alter the original purposes of an express or constructive trust created for purposes of a charitable or religious nature and allow the property or

income of such trust or any portion thereof to be applied cypress in one or more of the following circumstances, namely :—

(a) where the original; purposes of the trust, in whole or in part,—

(i) have been, as far as may be, fulfilled; or

(ii) cannot be carried out at all, or cannot be carried out according to the directions given in the instrument creating the trust or, where there is no such instrument, according to the spirit of the trust; or

(b) where the original purposes of the trust provide a use for a part only of the property available by virtue of the trust; or

(c) where the property available by virtue of the trust arid other property applicable for similar purposes can be more effectively used in conjunction with, and to that end can suitably be made applicable to any other purpose, regard being had to the spire of the trust and its applicability to common purposes; or

(d) where the original purposes, in whole or in part, were laid down by reference to an area which then was, but has since ceased to be, a unit for such purposes; or

(e) where the original purposes, in whole or in part, have, since, they were laid down,—

(i) been adequately provided for by other means, or

(ii) ceased, as being useless or harmful to the community, or

(iii) ceased to be, in law, charitable, or

(iv) ceased in any other way to provide a suitable and effective method of using the property available by virtue of the trust, regard being had to the spirit of the trust.

STATE AMENDMENT

UTTAR PRADESH.- In Section 92, in sub-section (1), after clause (b) the following shall be added as a new clause (bb):-

”(bb)for delivery of possession of any trust property against a person who has ceased in he trustee or has been removed” - UP. Act 24 of] 954, Section 2 and Schedule. Item 5. Entry 5 (wet. 30.11.1954).